केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/305 दिनांक: 05.12.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00267
CICOM/R/2018/01009

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम – शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 – बरौनी, जिला – बेगूसराय,
बिहार – 851112.

निर्णय की तारीख : 05.12.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.10.2018, 19.11.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. ग्रोवर, श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	532/27.11.2018 (5690/26.11.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर.पी.ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 1 से संबंधित प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदन के बिंदु स. 2, 3 एवं 4 से संबंधित सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1 के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/01009 के माध्यम से दिनांक 23.10.2018 को सूचना प्रदान की गई ।

3. अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 2, 3 एवं 4 से संबंधित सूचनाएं श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/01009/1 के माध्यम से दिनांक 19.11.2018 को प्रेषित की गई है । आवेदन के बिंदु सं. 4 के माध्यम से मांगी गई सूचना के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आयोग में अधिकारियों की तैनाती भाषायी आधार पर नहीं किया है ।

4. **श्री आर. पी. ग्रोवर एवं श्रीमती सविता तलूजा दोनों केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।**

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

श्रीमती सविता तलूजा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

RECEIVED
06 DEC 2018
D. No.......
Initials.......

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।